

॥ कार्यालय : ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पं०स० सुजानगढ़ चूरु ॥

क्रमांक : ब्लॉकप्रार्भिक/संस्था/2001/

दिनांक : 27.6.2001

कार्यालय - आदेश

निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं के सचिव /मंत्री/व्यवस्थापक के आवेदन पत्र एवं संघ-पत्र के आधार पर पूर्णतया अस्थाई मान्यता प्राथमिक स्तर {माध्यम हिन्दी} के लिए शैक्षिक सत्र वर्ष : 2001-2002 से 2003-2004 तक की निम्नांकित शर्तों के आधार पर सद्द्व द्वारा पुरदान की जाती है :-

- १। संस्था राज्य सरकार एवं विभागीय नियमों एवं निर्देशों की सदैव पालना करती रहेगी।
- २। समस्त प्रकार के शुल्क विभागीय नियमानुसार ही लिये जावें।
- ३। नव नियुक्तियों राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के प्रावधानानुसार ही की जावें।
- ४। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था-मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तों नियम 1993 एवं अधिनियम 1989 के प्रावधानों का सदैव पालन करना होगा।
- ५। विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।

उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर संस्था की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

क्र.सं.	संस्था का नाम	मान्यता स्तर	माध्यम
1.	विवैकानन्द विद्या आश्रम कातरछोटी त० सुजानगढ़	उ० प्रा०/कि०	हिन्दी

नेट 31.7.2001 तब प्रसिद्धि आ शि की निश्चित है।

Sd/-

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति, सुजानगढ़ चूरु

क्रमांक : ब्लॉकप्रार्भिक/संस्था/2001/ 1473-76

दिनांक : 27.6.2001

प्रतिलिपि:- 1- श्रीमान निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान- तीकानेर ।

2- श्रीमान उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा - चूरु ।

3- श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, पं०स०- चूरु ।

4- सचिव / मंत्री / व्यवस्थापक विवैकानन्द विद्या आश्रम कातरछोटी

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति, सुजानगढ़ चूरु